



30 प्र० आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website: <http://www.upavp.com>, E-mail: upavp@sancharnet.in



परिषद के आवंटियों/बकायेदारों हेतु आवश्यक सूचना

दिनांक 06.12.2014 को पूरे देश में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का जनपद स्तर पर जनपद न्यायाधीश एवं जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। परिषद की समस्त योजनाओं (उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश) के आवंटीगण, विस्थापित आवेदक एवं परिषद कार्मिक राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न विषयों के सम्बन्ध में अपने आवेदन सम्बन्धित वृत्त/खण्ड/जोन/सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालयों में नियत तिथि अथवा उससे पूर्व कर सकते हैं। बकायेदार (डिफाल्टर्स) आवंटियों को सम्बन्धित कार्यालय में आवेदन करने पर ओ0टी0एस0 योजना का लाभ अनुमन्य होगा। OTS योजना केवल 6 दिसम्बर के लिए लागू की गयी है।

1. भवन मानचित्र स्वीकृति/शमन।
2. अवैध निर्माण।
3. सम्पत्तियों के आवंटन, निबन्धन, सीमा विवाद।
4. सम्पत्तियों का नामान्तरण।
5. भूमि के प्रतिकर भुगतान, भूमि समायोजन एवं भूमि अर्जन मुक्त।
6. परिषद कार्मिकों की पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अनुकम्पा आदि।

आवास आयुक्त